



नजिता का अधिकार

प्रलिस के लयि:

डेटा संरक्षण, वयक्तगित डेटा, नजिता, वयक्तगित डेटा संरक्षण वधियक, डेटा स्थानीयकरण, अन्य संबधति कानून

मेन्स के लयि:

नजिता का अधिकार

चरचा में क्यों?

भारतीय प्रतसिपर्द्धा आयोग (CCI) की 2021 की नजिता नीतकी जाँच के खलिफ व्हाट्सएप-मेटा अपील को सर्वोच्च न्यायालय ने खारज़ि कर दया ।

- व्हाट्सएप और मेटा दोनों ने तर्क दया गया है कएँटी-ट्रस्ट वॉचडॉग नजिता नीतकी जाँच नहीं कर सकता है क्योंकि इसे संशोधित [डेटा संरक्षण वधियक](#) पेश होने तक स्थगति रखा जाता है ।
- CCI 2002 के प्रतसिपर्द्धा अधनियम के प्रावधानों के कसी भी उल्लंघन पर वचिर करने के लयि एक स्वतंत्र प्राधकिरण है और इसे जाँच और प्रतसिपर्द्धा अधनियम, 2002 के कथति उल्लंघन से नहीं रोका जा सकता है ।

व्हाट्सएप की गोपनीयता नीतसे संबधति मुद्दे:

- व्हाट्सएप स्वचालति रूप से जो जानकारी एकत्र करता है और उसे फेसबुक के साथ साझा करता है, उसमें मोबाइल फोन नंबर, उपयोगकर्त्ता गतिविधि और व्हाट्सएप अकाउंट की अन्य बुनयादी जानकारी शामिल होती है ।
 - फेसबुक के साथ वाणजियकि उपयोगकर्त्ता डेटा साझा करने के लयि व्हाट्सएप की गोपनीयता नीतयिह स्थापति करती है कयिह स्वयं एक मध्यस्थ होने के बजाय डेटा का मालकि है ।
- नई नीतकी समझने की कोशशि करें तो उपयोगकर्त्ताओं के पास अब यह वकिल्प नहीं है कयिे अपने डेटा को अन्य स्वामतित्व वाले और बाहरी एप्स के साथ साझा न करें ।
- व्हाट्सएप नीत शरीकृषण समति की रिपोर्ट की सफिरशों का खंडन करती है, जो डेटा संरक्षण वधियक 2019 का आधार है । उदाहरण के लयि:
 - डेटा स्थानीकरण का सदिधांत का उद्देश्य देश के बाहर वयक्तगित डेटा के हस्तांतरण पर अंकुश लगाना है, हो सकता है कयिह व्हाट्सएप की गोपनीयता नीतके अनुकूल न हो ।

वयक्तगित डेटा संरक्षण वधियक:

- वयक्तगित डेटा संरक्षण वधियक, 2019 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 11 दसिंबर, 2019 को [लोकसभा](#) में पेश कयिा गया था ।
- आमतौर पर इसे "गोपनीयता वधियक" के रूप में जाना जाता है, इसका उद्देश्य वयक्तगित डेटा (जो कयि वयक्तकी पहचान कर सकता है) के संग्रह, संचालन और प्रकयिा को वनियमति करके वयक्तगित अधकिारों की रक्षा करना है ।
- सरकार ने प्रौद्योगिकी दगिजों द्वारा उठाई गई वभिनिन आपततयिों और आम लोगों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों के कारण वधियक को वापस ले लया ।

नजिता का अधिकार:

- आमतौर पर यह समझा जाता है कयि गोपनीयता अकेला छोड़ दयि जाने के अधकिार (Right to Be Left Alone) का पर्याय है ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में [के.एस. पुट्टासवामी बनाम भारतीय संघ](#) ऐतहिसकि नरिणय में गोपनीयता और उसके महत्त्व को वर्णति कयिा । सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, नजिता का अधिकार एक मौलकि और अवचिछेद्य अधकिार है तथा इसके तहत वयक्तसे जुड़ी सभी सूचनाओं के साथ उसके द्वारा लयि गए नरिणय शामिल हैं ।
- नजिता के अधिकार को [अनुच्छेद 21](#) के तहत प्राण एवं दैहकि स्वतंत्रता के अधकिार के आंतरकि भाग के रूप में तथा संवधान के भाग-III

द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिससे के रूप में संरक्षित किया गया है।

■ **प्रतबंध (नरिणय में वरुणति):**

- इस अधकिार को केवल राज्य काररवाई के तहत तभी प्रतबंधित किया जा सकता है, जब वे नमिंनलिखिति तीन परीक्षणों को पास करते हों :
 - पहला, ऐसी राजकीय काररवाई के लयि एक **वधियी जनादेश** होना चाहयि;
 - दूसरा, इसे एक **वैध राजकीय उददेश्य** का पालन करना चाहयि;
 - तीसरा, यह **यथोचिति होनी चाहयि**, अरुथात् ऐसी राजकीय काररवाई- प्रकृति और सीमा में समानुपाती होनी चाहयि, एक लोकांतर्कि समाज के लयि आवश्यक होनी चाहयि तथा कसिी लक्ष्य को प्रापूत करने हेतु उपलब्ध वकिलुपों में से सबसे कम अंतरवेधी होनी चाहयि।

नजिता की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

■ **बी एन शरीकृषण समति:**

- सरकार ने न्यायमूरूत बि एन शरीकृषण की अधयक्षा में डेटा संरक्षण पर वशिषजुओं की एक समति नियुक्त की जसिने जुलाई, 2018 में अपनी रिपुर्ट सौपी।

■ **सूचना प्रौदयोगिकी अधनियिम, 2000:**

- IT अधनियिम, कंप्यूटर प्रणाली से डेटा के संबंघ में कुछ उल्लंघनों के खलिफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली और उसमें संगरहीत डेटा के अनधकृत उपयोग को रोकने के प्रावधान हैं।

भारतीय प्रतसिपर्दधा आयोग (CCI):

■ **परचिय:**

- CCI की स्थापना मार्च 2009 में भारत सरकार द्वारा प्रतसिपर्दधा अधनियिम, 2002 के तहत अधनियिम के प्रशासन, कारयान्वयन और प्रवरतन के लयि की गई थी।
- यह मुखय रूप से बाजार में प्रतसिपर्दधा-वरीधी प्रथाओं के तीन मुदों का अनुसरण करता है:
- प्रतसिपर्दधा-वरीधी समझौते।
- प्रभुत्व का दुरुपयोग।
- संयोजन।

■ **उददेश्य:**

- प्रतसिपर्दधा पर प्रतकिलू प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समापूत करना।
- प्रतसिपर्दधा को बढ़ावा देना और बनाए रखना।
- उपभोक्ताओं के हतिों की रक्षा करना।
- भारत के बाजारों में वयापार की स्वतंत्रता सुनशिचति करना।
- मजबूत प्रतसिपर्दधी माहौल स्थापति करना:
 - उपभोक्ताओं, उदयोग, सरकार और अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों सहति सभी हतिधारकों के साथ सकरयि जुड़ाव।

■ **संरचना:**

- आयोग में एक अधयक्ष और छह सदस्य होते हैं जनिहें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- आयोग एक **अरुदध-न्यायकि नकिय (Quasi-Judicial Body)** है जो सांघिकि प्राधकिरणों को परामरुश देने के साथ-साथ अन्य मामलों को भी संबोधति करता है।
- अधयक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालकि सदस्य होंगे।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वरुष के प्ररुशुन

प्ररुशुन. 'नजिता का अधकिार' भारत के संवधिान के कसि अनुचुछेद के तहत संरक्षति है?

- (a) अनुचुछेद 15
- (b) अनुचुछेद 19
- (c) अनुचुछेद 21
- (d) अनुचुछेद 29

उत्तर: (c)

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

